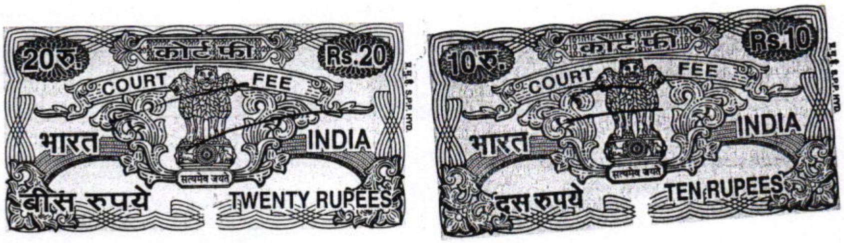

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2018 जिला – मंदसौर

BR/अपील/मन्दसौर/आ०अ०/2018/0936

मैसर्स ओयसिस डिस्टलरीज लिमिटेड बौराली, जिला – धार (म.प्र.)

-- अपीलार्थी

विरूद्ध

1. आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश, ग्वालियर
2. उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता उज्जैन/इन्दौर (म.प्र.)
3. जिला आबकारी अधिकारी जिला–मंदसौर
4. जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स ओयसिस डिस्टलरीज लिमिटेड बोराली जिला–धार (म.प्र.)

-- प्रत्यर्थीगण

कार्यालय/न्यायालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017–18/2743 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

माननीय महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/मन्दसौर/आ.अ./2018/0936

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-2-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा अवधि विधान की धारा 5 एवं ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30-5-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 6-2-2018 को प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रथम दृष्टया अवधि अवधि बाह्य है । अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के संबंध में उन्हें आलोच्य आदेश की सूचना नहीं दिया जाना एवं उक्त आदेश की सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29-1-2018 के आधार पर प्राप्त होना दर्शाया गया है, परन्तु उक्त तर्क के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से यह अपील इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । जहां तक प्रकरण के गुण-दोष का प्रश्न है, म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4)(क) के अनुसार प्रदाय संविदाकार द्वारा स्टोरेज मद्य भाण्डागार में बोतल बंद देशी मदिरा के प्रदाय के 5 दिवस समतुल्य निर्धारित न्यूनतम संग्रह रखना अनिवार्य है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उक्त नियम का उल्लंघन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी से उत्तर प्राप्त किया जाकर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य देशी स्प्रिट नियम के नियम 4(4) का उल्लंघन होकर, नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने से अपीलार्थी पर रूपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित की गई है । इसके अतिरिक्त अपलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज मद्य भाण्डागार मन्दसौर एवं गरोठ पर कुल 146 दिवस बोतल बंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से रूपये 36,500/- कुल राशि 51,500/- की शास्ति अधिरोपित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अपीलार्थी कम्पनी	

द्वारा न्यूनतम संग्रह नहीं रखने से शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, इसलिए उस पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है । इस संबंध में जहां अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान हों और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी कम्पनी द्वारा किया जाता है, तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है । फलस्वरूप यह अपील प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

अध्यक्ष